संख्याः 495 /6-पु0-10-2013-27(65)/2012

प्रेषक,

प्रकाश नरायन,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

गृह (पुलिस) अनुभाग-10 लखनऊ : दिनांकः 01 मार्च,2013

विषयः- उ0प्र0 उपनिरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस) सेवा नियमावली,2008 में पंचम संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश उपनिरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस) सेवा (पंचम संशोधन) नियमावली,2013, अधिसूचना संख्या-494/छः-पु0-10-2013-27(65)/2012 दिनांक 01.3.2013 द्वारा जारी कर दी गयी है। उक्त सेवानियमावली की प्रति (हिन्दी/अंग्रेजी) आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्नकर प्रेषित की जा रही है। कृपया अपने स्तर से सभी सम्बन्धितों को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोपरि।

भवदीय,

(प्रकाश नरायन)
संयुक्त सचिव।

संख्याः 495/6-पु0-10-2013 दिनांक तदैव.

प्रतिलिपि निम्नलिखित को :-

1. संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, ऐशबाग, लखनऊ को उत्तर प्रदेश उपनिरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस) सेवा (पंचम संशोधन) नियमावली,2013 (अधिसूचना संख्या-494/छः-पु0-10-2013-27(65)/2012 दिनांक 01.3.2013) (हिन्दी एवं अंग्रेजी) की प्रति इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि इसे असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग-4 के खण्ड-क में प्रकाशित कराकर इसकी 100 प्रतियॉ शासन को शीघ्रातिशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2. पुलिस महानिरीक्षक, स्थापना, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को अधिसूचना की प्रति सहित सूचनार्थ प्रेषित।
3. पुलिस उप महानिरीक्षक, स्थापना, उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद को अधिसूचना की प्रति सहित सूचनार्थ प्रेषित।
4. सचिव, उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ को अधिसूचना की प्रति सहित।
5. कार्मिक अनुभाग-1,2/भाषा अनुभाग-5/विधायी अनुभाग-1
6. गृह विभाग के समस्त अनुभाग।
7. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(प्रकाश नरायन)
संयुक्त सचिव।

408
Member
Member Secretary 04.03.13
Addl. Secy (R)
अंशकालिक स० श्रीवमार्शी
Member 04/3/13
A.S.IM
Addl. SP (R) 04/3/13
Addl SP (R)
8.3.13 Addl. SP.
अंशकालिक 5/3/2013

उत्तर प्रदेश शासन
गृह (पुलिस) अनुभाग-10
संख्याः 494/छः-पु-10-2013-27(65)/2012
लखनऊ : दिनांक : 01 मार्च, 2013

अधिसूचना

पुलिस अधिनियम,1861 (अधिनियम संख्या 5, सन 1861) की धारा 2 और धारा-46 की उपधारा (3) के साथ पठित उक्त धारा की उपधारा (2) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके और इस निमित्त समस्त अन्य समर्थकारी शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश उपनिरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस) सेवा नियमावली, 2008 को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

उत्तर प्रदेश उपनिरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस) सेवा (पंचम संशोधन) नियमावली, 2013

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ	1. (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश उपनिरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस) सेवा (पंचम संशोधन) नियमावली, 2013 कही जायेगी। (2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।	
नियम-4 का संशोधन	2. उत्तर प्रदेश उपनिरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस) सेवा नियमावली,2008, जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, में नियम 4 में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान उप नियम (2) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया उप नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :-	
	स्तम्भ-1 विद्यमान उप नियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उप-नियम
	(2) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या निम्न प्रकार होगी, जब तक कि उप नियम-1 के अधीन उसे परिवर्तित करने वाला आदेश पारित न होः- पदों के नाम — पदों की संख्या (स्थायी / अस्थायी / योग) 1- निरीक्षक — 890 / 339 / 1229 2- उप निरीक्षक — 7153 / 3754 / 10907	(2) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या निम्नलिखित होगी, जब तक कि उप नियम-1 के अधीन उसे परिवर्तित करने का आदेश पारित न होः- पदों के नाम — पदों की संख्या (स्थायी / अस्थायी / योग) 1- निरीक्षक — 890 / 1744 / 2634 2- उप निरीक्षक — 7153 / 11843 / 18996
नियम-5 का संशोधन	3. उक्त नियमावली में, नियम 5 में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान उप नियम (2) के स्थान पर, स्तम्भ-2 में दिया गया उप नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :-	
	स्तम्भ-1 विद्यमान उपनियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उप नियम

	(2) <u>निरीक्षक</u> मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे उपनिरीक्षकों में से विभागीय परीक्षा के आधार पर बोर्ड के माध्यम से पदोन्नति द्वारा जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिन इस रूप में 07 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, परन्तु निःसंवर्गीय पदों पर पदोन्नत निरीक्षक (नागरिक पुलिस) भी निरीक्षक के पद पर पदोन्नति हेतु अर्ह होंगे। टिप्पणी :- उप-निरीक्षक (अध्यापक) का पद मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे उप-निरीक्षक में से सेवा अंतरण के द्वारा भरा जाएगा जिन्होंने पैडागोजी पाठ्यक्रम व समय-समय पर सरकार द्वारा यथाविहित पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्राप्त किया हो।	(2) निरीक्षक (क) नियम 4 के उप नियम (2) के अधीन निरीक्षक के स्वीकृत पदों में से 50 प्रतिशत पद, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए, ज्येष्ठता के आधार पर बोर्ड के माध्यम से पदोन्नति द्वारा भरे जायेंगे और नियम 4 के उप नियम (2) के अधीन निरीक्षक के स्वीकृत पदों में से शेष 50 प्रतिशत पद बोर्ड के माध्यम से विभागीय परीक्षा के आधार पर पदोन्नति द्वारा भरे जायेंगे, (ख) उप खण्ड (क) में यथा उल्लिखित पदोन्नति के माध्यम से भर्ती मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे उपनिरीक्षकों (नागरिक पुलिस) में से की जायेगी जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिन, परिवीक्षा अवधि को सम्मिलित करते हुए, इस रूप में 07 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो। (ग) निःसंवर्गीय पदों पर पदोन्नत निरीक्षक (नागरिक पुलिस), जो खण्ड(ख) में उल्लिखित अपेक्षा पूर्ण कर रहे हों, निरीक्षक के पद पर पदोन्नति हेतु अर्ह होंगे।
नियम 15 का संशोधन	4. उक्त नियमावली में, नियम 15 में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये खण्ड(ड.) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :-	
	स्तम्भ-1 विद्यमान खण्ड	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड
	(ड.) <u>शारीरिक दक्षता परीक्षा-</u> खण्ड(घ) के अधीन प्रारम्भिक लिखित परीक्षा में सफल घोषित अभ्यर्थियों से अर्हकारी प्रकृति की शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी। पुरूष अभ्यर्थियों से 10 किलोमीटर की दौड़ 60 मिनट में और महिला अभ्यर्थियों से 05 किलोमीटर की दौड़ 35 मिनट में पूरी करने की अपेक्षा की जायेगी। शारीरिक दक्षता परीक्षा के संचालन की प्रक्रिया ऐसी होगी जैसी परिशिष्ट-2 में विहित है।	(ड.) <u>शारीरिक दक्षता परीक्षा-</u> खण्ड(घ) के अधीन प्रारम्भिक लिखित परीक्षा में सफल घोषित अभ्यर्थियों से अर्हकारी प्रकृति की शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी। पुरूष अभ्यर्थियों से 4.8 किलोमीटर की दौड़ 35 मिनट में और महिला अभ्यर्थियों से 2.4 किलोमीटर की दौड़ 20 मिनट में पूरी करने की अपेक्षा की जायेगी। शारीरिक दक्षता परीक्षा के संचालन की प्रक्रिया ऐसी होगी जैसी परिशिष्ट-2 में विहित है।
16 ...शोधन	5. उक्त नियमावली में, नियम 16 में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये खण्ड(ख) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :-	

	स्तम्भ-1 विद्यमान खण्ड	स्तम्भ-2 एतद्‌द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड
	(ख) शारीरिक दक्षता परीक्षा- खण्ड(क) के अधीन चयनित अभ्यर्थियों को अर्हकारी प्रकृति की एक शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी। पुरूष अभ्यर्थियों से 75 मिनट में 10 किलोमीटर की दौड़ और महिला अभ्यर्थियों से 45 मिनट में 05 किलोमीटर की दौड़ पूरी करने की अपेक्षा की जायेगी।	(ख) शारीरिक दक्षता परीक्षा- खण्ड(क) के अधीन चयनित अभ्यर्थियों से अर्हकारी प्रकृति की एक शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी। पुरूष अभ्यर्थियों से 35 मिनट में 4.8 किलोमीटर की दौड़ और महिला अभ्यर्थियों से 20 मिनट में 2.4 किलोमीटर की दौड़ पूरी करने की अपेक्षा की जायेगी।
नियम 17 का संशोधन	6. उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम 17 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :-	
	स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्‌द्वारा प्रतिस्थापित नियम
	17- विभागीय परीक्षा के आधार पर निरीक्षक पद पर प्रोन्नति द्वारा भर्ती के प्रयोजनार्थ बोर्ड निम्नलिखित रीति से एक लिखित परीक्षा आयोजित करेगा। शत प्रतिशत रिक्तियाँ पदोन्नति के माध्यम से भरी जायेंगी। लिखित परीक्षा (क) 1. पास अभ्यर्थियों से एक लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी जिसके लिए 300 अंक होंगे। लिखित परीक्षा में सम्मिलित विषयों का विवरण तथा प्रत्येक विषय के लिए आवंटित अंक निम्नवत हैं:- विषय — अधिकतम अंक 1. हिन्दी निबंध (कानून व्यवस्था, वाद अध्ययन तथा पुलिस कार्य प्रणाली पर आधारित) — 100 अंक 2. मूल विधि, संविधान एवं पुलिस प्रक्रिया (भारतीय दण्ड संहिता, दण्ड प्रक्रिया संहिता, साक्ष्य अध्ययन तथा पुलिस मैनुअल आदि) — 100 अंक (वस्तुनिष्ट प्रकार) 3. संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा — 50 अंक (वस्तुनिष्ट प्रकार) 4. मानसिक अभिरूचि/बुद्धिलब्धि/तार्किक परीक्षा — 50 अंक (वस्तुनिष्ट प्रकार)	17(1) रिक्तियों की गणना पदोन्नति के माध्यम से भर्ती वर्ष में निरीक्षक के पद के लिए रिक्तियों की संख्या की गणना नियम 5 के उप नियम (2) के अनुसार की जायेगी। (2) ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर बोर्ड के माध्यम से चयन द्वारा पदोन्नति के माध्यम से भरी जाने वाली रिक्तियाँ चयन समिति की संस्तुति के आधार पर भरी जायेंगी। (क) चयन समिति- (एक) का गठन तत्समय प्रवृत्त शासनादेशों के अनुसार बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा किया जायेगा। (दो) की अध्यक्षता बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट पुलिस महानिरीक्षक द्वारा की जायेगी, (तीन) में पुलिस उप महानिरीक्षक (स्थापना) समिति के पदेन सदस्य के रूप में होगें, जो तत्समय प्रवृत्त शासनादेशों के अनुसार अर्ह अभ्यर्थियों की निर्विवादित ज्येष्ठता सूची चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। (चार) में पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के एक नाम निर्देशिती होंगे, जो पुलिस अधीक्षक

टिप्पणी-1- जो अभ्यर्थी प्रत्येक विषय में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने में विफल रहेंगे, पदोन्नति के लिए अर्ह नहीं होंगे।

टिप्पणी-2- लिखित परीक्षा के संचालन की प्रक्रिया ऐसी होगी जैसी परिशिष्ट-3 में विहित है।

(दो) चयन समिति नियम-6 में निर्दिष्ट आरक्षण के प्राविधानों को ध्यान में रखते हुए सफल अभ्यर्थियों की उनके द्वारा उप नियम-2 के अधीन लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर एक सूची तैयार करेगी।

(ख) <u>सेवा अभिलेख</u>

(एक) खण्ड (क) के अधीन चयनित प्रत्येक अभ्यर्थी के सेवा अभिलेखों के आधार पर अंक प्रदान किये जायेंगे। सेवा की कालावधि के लिये अधिकतम 20 अंक होंगे (प्रत्येक वर्ष के लिए 01 अंक), स्नातक एवं ऊपर की अवधि की शैक्षिक अर्हता 10 अंक, प्रशिक्षण पाठयक्रम के लिए 40 अंक जिसमें से 30 अंकों के अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुए प्रत्येक मौलिक प्रशिक्षण के लिए 10 अंक तथा अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुए प्रत्येक गैर मौलिक प्रशिक्षण के लिए 02 अंक और वार्षिक प्रविष्टि के लिए 30 अंक होंगे। इस प्रकार यथोक्त रूप से अधिकतम 100 अंक होंगे। पुलिस संगठन का प्रशिक्षण निदेशालय इस शर्त पर के अधीन रहते हुए कि कोई प्रशिक्षण जिसकी अवधि एक माह से कम होगी मौलिक प्रशिक्षण के रूप में अधिसूचित नहीं किया जायेगा, किसी भी प्रशिक्षण को मौलिक और गैर मौलिक प्रशिक्षण के रूप में अधिसूचित करने के लिए प्राधिकृत है। प्रत्येक वृहद दण्ड के लिए 05 अंक, प्रत्येक लघु दण्ड के लिए 03 अंक और प्रत्येक सूक्ष्म दण्ड के लिए 01 अंक काट लिया जायेगा। सेवा अभिलेखों का परीक्षण इस दृष्टिकोण से भी किया जायेगा कि क्या अभ्यर्थी को कोई ऐसा भी दण्ड दिया गया है, जो उसे पदोन्नति के लिए अनुपयुक्त ठहराता हो। कोई अभ्यर्थी जिसकी सत्यनिष्ठा गत पाँच वर्षों में एक बार भी रोकी गयी के स्तर से निम्न नहीं होंगे।

(पाँच) में पुलिस सेवा के राजपत्रित स्तर के दो अन्य सदस्य होंगे जो बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जायेंगे।

(ख) चयन समिति पदोन्नति के लिए उपयुक्त पाये गये अभ्यर्थियों की सूची अपनी संस्तुति सहित पुलिस महानिदेशक को प्रस्तुत करेगी। सूची अधिसूचित रिक्तियों से अधिक की नहीं होगी।

(ग) पुलिस महानिदेशक द्वारा सूची के अनुमोदन के उपरान्त, पुलिस महानिरीक्षक (स्थापना), निरीक्षक के पदों पर पदोन्नति के लिए अंतिम आदेश निर्गत करेंगे।

(3) <u>लिखित परीक्षा और सेवा अभिलेख के आधार पर पदोन्नति</u>

विभागीय परीक्षा द्वारा पदोन्नति के माध्यम से भरी जाने वाली रिक्तियों के लिए बोर्ड निम्नलिखित रीति से लिखित परीक्षा आयोजित करेगा :-

(क) <u>लिखित परीक्षा</u>

अर्ह अभ्यर्थियों से एक लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी जो 300 अंकों की होगी। लिखित परीक्षा में सम्मिलित विषयों तथा प्रत्येक विषय के लिए आवंटित अंकों का विवरण निम्नवत है :-

<u>विषय</u>	<u>अधिकतम अंक</u>
1. विधि और व्यवस्था, वाद अध्ययन तथा पुलिस कार्य प्रणाली	100 अंक (व्याख्यात्मक प्रकार)
2. संविधान, मूल विधि एवं पुलिस प्रक्रिया (भारतीय दण्ड संहिता, दण्ड प्रक्रिया संहिता, साक्ष्य अधिनियम तथा पुलिस मैनुअल आदि)	150 अंक (वस्तुनिष्ठ प्रकार)
3. संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा, मानसिक अभि रूचि परीक्षा/बुद्विलब्धि परीक्षा/तार्किक परीक्षा,	50 अंक (वस्तुनिष्ठ प्रकार)

हो पदोन्नति के लिए पात्र नहीं होगा।

(दो) खण्ड (क) के अधीन प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों को उनके द्वारा खण्ड (ग) के अधीन प्राप्त किये गये अंकों में जोड़ दिये जायेंगे। इस प्रकार प्राप्त अंकों के कुल योग के आधार पर चयन समिति अभ्यर्थियों की सूची तैयार करेगी।

(ग) समूह परिसंवाद

खण्ड (क) के अधीन चयनित अभ्यर्थियों से समूह परिसंवाद में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी। इस प्रयोजनार्थ दस अभ्यर्थियों का प्रथक संग्रह बनाया जायेगा। समूह परिसंवाद की प्रक्रिया एक "पैनल" के अधीन बोर्ड के अध्यक्ष या उनके नामिती की उपस्थिति में सम्पादित की जायेगी जिसमें प्रबन्धन विशेषज्ञ, मनोविशलेषक, अपराध विज्ञानी, अपर पुलिस महानिदेशक कार्मिक और अपर पुलिस महानिदेशक (कानून व्यवस्था) (पुलिस महानिदेश, उ0प्र0 द्वारा नामनिर्दिष्ट) समाविष्ट होंगे। उक्त समूह परिसंवाद में किसी पुलिस वाद अध्ययन से संबंधित कुछ समस्याऐं परिचर्चा के लिए प्रस्तुत की जायेंगी और सम्पूर्ण समूह परिसंवाद नियत समय सीमा के भीतर पूर्ण किया जायेगा। समूह परिसंवाद के लिए 20 अंक होंगे और इसके अंतर्गत अभ्यर्थियों के प्रबन्धन कौशल (5 अंक), प्रस्तुतीकरण (5 अंक), अभिरूचि (5 अंक) और व्यक्तित्व (5 अंक) का मूल्यांकन भी सम्मिलित होगा।

टिप्पणी (1) समूह परिसंवाद की सम्पूर्ण प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जायेगी और उसकी एक काम्पैक्ट डिस्क तैयार की जायेगी।

टिप्पणी (1) चयन समिति में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधित्व के लिए अधिकारियों का नाम निर्देशन समय-समय पर यथा संशोधित अधिनियम की धारा-7 के अनुसार किया जायेगा।

(घ) अन्तिम चयन सूची

चयन समिति नियम-6 में निर्दिष्ट आरक्षण के प्राविधानों को ध्यान में रखते हुए अभ्यर्थियों की उनके श्रेष्ठताक्रम में जैसा कि खण्ड (पॉच) और खण्ड (छः) के अधीन उनके द्वारा प्राप्त अंकों के

कम्प्यूटर जानकारी

टिप्पणी 1- प्रश्न पत्र निरीक्षक स्तर के अधिकारी के कार्य प्रोफाइल पर आधारित और कार्य के उत्तरदायित्व के अनुरूप होंगे।

टिप्पणी 2- प्रत्येक विषय में न्यूनतम 35 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी रिक्ति की विद्यमानता के अधीन रहते हुए पदोन्नति हेतु अर्ह होंगे।

टिप्पणी-3- लिखित परीक्षा के संचालन की प्रक्रिया ऐसी होगी जैसी परिशिष्ट-3 में विहित है।

(ख) सेवा अभिलेख

सेवा अभिलेखों के लिए अधिकतम 100 अंक होंगे जो निम्नवत प्रदान किये जायेंगे :-

(एक) गत 10 वर्षों की वार्षिक प्रविष्टियों के लिए अधिकतम 60 अंक तक प्रदान किये जायेंगे। प्रत्येक उत्कृष्ट श्रेणी के लिए 06 अंक, अति उत्तम श्रेणी के लिए 04 अंक और उत्तम श्रेणी के लिये 02 अंक प्रदान किये जायेंगे। प्रत्येक प्रतिकूल प्रविष्टि के लिये योग में से 06 अंक काट लिये जायेंगे।

(दो) प्रशिक्षण पाठयक्रम के लिये अधिकतम 20 अंक तक प्रदान किये जायेंगे। प्रत्येक मौलिक प्रशिक्षण के लिये 10 अंक प्रदान किये जायेंगे और प्रत्येक गैर मौलिक प्रशिक्षण के लिए 02 अंक प्रदान किये जायेंगे।

टिप्पणी 1- पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय मौलिक प्रशिक्षण और गैर मौलिक प्रशिक्षण की सूची अधिसूचित करेंगे। यह अधिसूचना प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष के प्रारम्भ में जारी की जायेगी। इस प्रकार अधिसूचित सूची पदोन्नति की प्रक्रिया के समय पुनरीक्षित नहीं की जायगी।

टिप्पणी 2- कोई प्रशिक्षण जिसकी अवधि एक माह से कम होगी मौलिक प्रशिक्षण के रूप में अधिसूचित नहीं किया जायेगा।

(तीन) पारितोषिक के लिए अधिकतम 20 अंक तक प्रदान किये जायेंगे। प्रत्येक

	कुल योग से प्रकट हो, एक अन्तिम चयन सूची तैयार करेगी। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी बराबर-बराबर अंक प्राप्त करते हैं तो उप नियम (5) के अधीन उच्चतर अंक पाने वाले अभ्यर्थी को सूची में ऊपर रखा जायेगा। चयन समिति सूची को बोर्ड को अग्रसारित करेगी जो उसे विभागाध्यक्ष को अग्रसारित करेगा। विभागाध्यक्ष, अपेक्षित संख्या में नामों को संबंधित नियुक्ति प्राधिकारियों को अग्रसारित करेगा। सभी अभ्यर्थियों के अंकों से युक्त अन्तिम चयन सूची बोर्ड के वेबसाइट पर अपलोड की जायेगी।	पारितोषिक के लिए 05 अंक प्रदान किये जायेंगे। (चार) दण्ड के लिए अंक निम्नवत काटे जायेंगे :- (1) प्रत्येक वृहत दण्ड - 10 अंक (2) प्रत्येक लघु दण्ड - 06 अंक (3) प्रत्येक वर्ष का रोका गया सत्यनिष्ठा प्रमाणपत्र - 10 अंक सेवा अभिलेख का विचार क्षेत्र निरीक्षक पद पर पदोन्नति द्वारा भर्ती वर्ष के प्रथम दिवस से गत 10 वर्षों का होगा। (ग) <u>अन्तिम चयन सूची</u> (एक) चयन समिति खण्ड (क) लिखित परीक्षा और खण्ड (ख) सेवा अभिलेख में अभ्यर्थियों द्वारा कुल प्राप्त अंकों के आधार पर योग्यता क्रम में चयनित अभ्यर्थियों की अन्तिम सूची तैयार करेगी। यदि दो या अधिक अभ्यर्थियों के अंक समान हों तो खण्ड (ख) (सेवा अभिलेख) में उच्चतर अंक प्राप्त करने वाला अभ्यर्थी सूची में ऊपर रखा जायेगा। इसके बाद भी यदि दो या अधिक अभ्यर्थियों के सेवा अभिलेखों में समान अंक हों तो उन्हें सूची में उनकी आयु के अनुसार रखा जायेगा। अधिक आयु वाले को ऐसे अन्य अभ्यर्थियों के ऊपर रखा जायेगा। (दो) चयन समिति अपनी संस्तुति सहित पदोन्नति के लिए उपयुक्त अभ्यर्थियों की सूची उनकी योग्यता के क्रम में पुलिस महानिदेशक को प्रस्तुत करेगी। सूची अधिसूचित रिक्तियों से अधिक की नहीं होगी। (तीन) पुलिस महानिदेशक द्वारा सूची के अनुमोदन के उपरान्त पुलिस महानिरीक्षक (स्थापना) निरीक्षक के पद पर पदोन्नति हेतु अंतिम आदेश निर्गत करेंगे। 4 निरीक्षक के पदों पर पदोन्नति द्वारा भर्ती के नियत वर्ष में ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति की प्रक्रिया विभागीय परीक्षा द्वारा

		की जाने वाली पदोन्नति की प्रक्रिया से सदैव पहले होगी, प्रतिबन्ध यह है कि उसी के लिए रिक्तियाँ हों। उप नियम (2) के अधीन असफल अभ्यर्थी उप नियम (3) के अधीन विभागीय परीक्षा में प्रतियोगिता हेतु अर्ह होंगे। 5. उप नियम (1) केवल नियम 5 के खण्ड (क) हेतु निरीक्षक के पद की रिक्तियों की गणना के लिये है। निरीक्षक पद पर पदोन्नति द्वारा भर्ती के नियत वर्ष में उप नियम (2) के अधीन पदोन्नत उपनिरीक्षक उप नियम (3) के अधीन पदोन्नत उपनिरीक्षक से ज्येष्ठ होंगे। 6. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, द्वारा यथाअनुमोदित पदोन्नत अभ्यर्थियों की अन्तिम सूची बोर्ड और उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जायेगी।

आज्ञा से,

(आर०एम० श्रीवास्तव)

प्रमुख सचिव।

Uttar Pradesh Shasan
Grih (Police) Anubhag - 10

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no.494/ Chh-pu-10-2013- 27(65)/2012 dated 01 March, 2013

NOTIFICATION

Miscellaneous

No.494 /Chh-pu-10-2013-27(65)/2012

Lucknow. Dated. 01 March, 2013

In exercise of the powers under sub-section (2) of section-46 read with sub section (3) of the said section, section-2 of the Police Act, 1861 (Act no. 5 of 1861) and all other powers enabling him in this behalf, the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Sub-Inspector and Inspector (Civil Police) Service Rules, 2008 :

THE UTTAR PRADESH SUB-INSPECTOR AND INSPECTOR (CIVIL POLICE) SERVICE (FIFTH AMENDMENT) RULES, 2013

Short title and commencement	1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Sub-Inspector and Inspector (Civil Police) Service (Fifth Amendment) Rules, 2013. (2) They shall come into force at once.
Amendment of rule 4	2. In the Uttar Pradesh Sub-Inspector and Inspector (Civil Police) Service Rules, 2008, hereinafter referred to as the said rules, in rule 4, for the existing sub-rule(2) set out in Column 1 below, the sub-rule as set out in Column 2 shall be substituted, namely :-

COLUMN - 1	COLUMN - 2
Existing sub-rule	Sub-rule as here by substituted
(2) The strength of the service and of each category of posts therein shall, until orders varying the same are passed under sub-rule (1), be as given below:	(2) The strength of service and of each category of posts therein shall, until orders varying the same are passed under sub-rule (1), be as given below:

Name of post	Number of posts		
	Permanent	Temporary	Total
1. Inspector	890	339	1229
2. Sub Inspector	7153	3754	10907

Name of post	Number of posts		
	Permanent	Temporary	Total
1. Inspector	890	1744	2634
2. Sub Inspector	7153	11843	18996

Amendment of rule 5	3. In the said rules, in rule 5 for the existing sub-rule (2) set out in Column 1 below, the sub-rule as set out in Column 2 shall be substituted, namely :-

COLUMN - 1	COLUMN - 2
Existing sub-rule	Sub-rule as here by substituted
(2) Inspector By promotion through the Board on the basis of departmental examination from amongst substantively appointed Sub-Inspectors who have completed seven years of service as such on the first day of the year of recruitment : Provided that Inspectors (Civil Police) promoted on ex-cadre posts will also be eligible for promotion to the post of Inspector. Note- the post of Sub-Inspector (teacher) shall	**(2) Inspector** (a) 50 percent of the sanctioned posts of Inspector under sub rule (2) of rule 4 shall be filled by recruitment through promotion on the basis of seniority subject to rejection of unfit through the Board and the rest 50 percent of the sanctioned posts of Inspector under sub-rule (2) of rule 4 shall be filled by recruitment through promotion on the basis of departmental examination through the Board; (b) recruitment through promotions as mentioned in

be filled by transfer from amongst substantively appointed Sub-Inspectors who have undergone a course in Pedagogy as prescribed by the Government from time to time.	sub clause (a) shall be made from amongst substantively appointed Sub-Inspectors (Civil Police) who have completed 7 years of service as such on the first day of the year of recruitment, including the probation period; (c) Inspectors (Civil Police) promoted on ex-cadre posts who fulfil the requirement mentioned in clause (b) shall also be eligible for promotion to the post of Inspector.

Amendment of rule 15	4. In the said rules, in rule 15 for clause (e) set out in Column 1 below, the clause as set out in Column 2 shall be substituted, namely :-

COLUMN - 1	COLUMN - 2
Existing clause	Clause as here by substituted
(e) **Physical Efficiency Test-** The candidates who are declared successful in the preliminary written test under clause (d) shall be required to appear in a Physical Efficiency Test of qualifying nature. The male candidates shall be required to complete a run of 10 kilometers in 60 minutes and the female candidates a run of 05 kilometers in 35 minutes. The procedure for conducting Physical Efficiency Test shall be such as prescribed in Appendix-2.	(e) **Physical Efficiency Test-** The candidates who are declared successful in the preliminary written test under clause (d) shall be required to appear in a Physical Efficiency Test of qualifying nature. The male candidates shall be required to complete a run of 4.8 kilometers in 35 minutes and the female candidates a run of 2.4 kilometers in 20 minutes. The procedure for conducting Physical Efficiency Test shall be such as prescribed in Appendix-2.

Amendment of rule 16	5. In the said rules, in rule 16 for clause (b) set out in Column 1 below, the clause as set out in Column 2 shall be substituted, namely :-

COLUMN - 1	COLUMN - 2
Existing clause	Clause as here by substituted
(b) **Physical Efficiency Test-** The candidates selected under clause (a) shall be required to appear in a Physical Efficiency Test of qualifying nature. The male candidates shall be required to complete a run of 10 kilometers in 75 minutes and the female candidates a run of 05 kilometers in 45 minutes.	(b) **Physical Efficiency Test-** The candidates selected under clause (a) shall be required to appear in a Physical Efficiency Test of qualifying nature. The male candidates shall be required to complete a run of 4.8 kilometers in 35 minutes and the female candidates a run of 2.4 kilometers in 20 minutes.

Amendment of rule 17	6. In the said rules, for existing rule 17 set out in Column 1 below, the rules as set out in Column 2 shall be substituted, namely :-

COLUMN - 1	**COLUMN - 2**
Existing Rule	**Rule as here by substituted**
(a) Written Examination (i) The eligible candidates shall be required to appear in a written examination which shall carry 300 marks. The details of the subjects included in the written examination and the marks allotted for each subject are as follows :- 1. Hindi Essay 100 Marks (based on Law and Order case study and police functioning) 2. Basic Law, Constitution and Police Procedure 100 Marks (Objective Type) (Indian Penal Code, Criminal Procedure Code, Evidence Act and Police Manual etc.) 3. Numerical and Mental 50 Marks	17 (1) **Calculation of vacancies** In the year of recruitment through promotion number of vacancies for the post of Inspector shall be calculated as provided in sub- rule (2) of rule-5. (2)**Promotion on the basis of seniority** - Vacancies meant for recruitment through promotion by selection through the Board on the basis of seniority subject to rejection of unfit, shall be filled on the basis of the recommendation of the selection committee. (a) The selection committee shall (i) be constituted by the Chairman of the Board in accordance with the Government orders for the time being in force. (ii) be headed by an Inspector General of Police

Ability Test (Objective Type) 4. Mental Aptitude Test/ I.Q. Test/Reasoning 50 Marks (Objective Type)	nominated by the Chairman of the Board, (iii)have Deputy Inspector General of Police (Establishment) as ex officio member of the

committee, who will also put up undisputed seniority list of eligible candidates before the selection committee in accordance with the Government orders for the time being in force.

Note 1-. The candidates who fail to obtain a minimum 50 percent marks in each subject shall not be eligible for Promotion.

Note 2- The procedure for conducting written examination shall be such as prescribed in Appendix-3.

(ii) The selection shall, having regard to the provisions of reservation referred to in rule 6, prepare a list of successful candidates on the basis of marks obtained by them in the written examination under sub-rule(i).

(b) Service Records

(i) Marks on the basis of Service Records shall be awarded to each candidate selected under clause (a). The maximum marks for the length of service shall be 20 (01 mark for each year), for the educational qualification of Graduation and above degree 10 marks, Training Course 30 marks out of which 10 marks each for every substantive training subject to a maximum of 20 and 02 marks each for every non-substantive training subject to a maximum of 10 marks and 30 marks for annual entry. For every medal of national level 03 marks, every medal of state level 02 marks subject to maximum of 10 marks and no marks will be given for cash reward. Thus there shall be maximum 100 marks as above. The Training Directorate of the Police organisation is authorised to notify any training as substantive and non substantive subject to the condition that no training which is less than one month's duration shall be notified as substantive training. For every major punishment 03 marks, for every minor punishment 02 mark and for every adverse entry, petty punishment 01 mark shall be deducted. The Service Records shall also be examined keeping in view whether the candidate has been awarded some kind of punishment which renders him unsuitable for promotion. Any candidate whose integrity was with held ever within the last five years shall not be eligible for promotion.

(ii) The marks obtained by each candidate under sub-clause(a) shall be added to the marks obtained by him under sub-rule(b). The Selection Committee shall prepare a list of candidates on the basis of aggregate of marks so arrived.

(c) Group Discussion-

The candidates selected under the rule 17(a) shall be required to appear in a group discussion For which separate groups of ten candidates each shall be formed. The process of group discussion shall be carried out under the

(iv)have a nominee of the Director General of Police UP, not below the rank of Superintendent of Police.

(v)have two other members of gazetted ranks of police service, who will be nominated by the Chairman of the Board;

(b) The selection committee shall submit a list of candidates found fit for promotion, with its recommendation to the Director General of Police. The list shall not exceed the notified vacancies.

(c) On approval of the list by the Director General of Police, the Inspector General of Police (Establishment) shall issue the final orders for promotion to the posts of Inspector.

(3)Promotion on the basis of Written examination and service records-

The Board shall conduct a written examination for vacancies meant to be filled by recruitment through promotion by a departmental examination in the following manner :

(a) **Written Examination**

The eligible candidates, shall be required to appear in a written examination which shall carry 300 marks. The details of the subjects included in the written examination and the marks allotted for each subject are as follows.-

Subject	Maximum Marks
1. Law and Order, case study and police functioning.	100 marks (descriptive type)
2 Constitution, Basic Law and Police Procedure (Indian Penal Code, Criminal Procedure Code, Evidence Act and Police Manual etc.)	150 marks (objective type)
3. Numerical and Mental Ability Test, Mental Aptitude Test/I.Q. Test/ Reasoning, Computer awareness	50 marks (objective type)

NOTE- 1- The question papers shall be based on the job profile of Inspector rank officer and commensurate with the job responsibility.

NOTE- 2- The candidates who obtained minimum 35 percent marks in each subject shall be eligible for Promotion subject to the existence of vacancy.

NOTE- 3- The procedure for conducting written examination shall be such as prescribed in Appendix-3.

(b) **Service Record.**

There shall be maximum 100 marks for Service Records, to be awarded as follows :

(i) up to maximum of 60 marks shall be awarded for

supervision of a panel comprising Management Expert, Psychologist and Criminologist in the presence of Chairman of the Board or his nominee, one Additional Director General of Police nominated by the Director General of Police, (Uttar Pradesh) or Inspector General of Police/Deputy Inspector General of Police nominated by him. In the said Group Discussion, police case study shall be presented for discussion and the entire Group Discussion shall be completed within the stipulated time-frame. The Group Discussion shall carry 20 marks and it will include the evaluation of candidates Management Skill (5 marks), Presentation (5 marks), Attitude (5 marks), and personality (5 marks). These marks shall also be uploaded in the Board's website.

Note 1- The Entire process of group Discussion shall be video graphed and a C.D. thereof shall be prepared.

Note 2- Nomination of Officers for giving representation to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward classes of citizens in the Selection Committee shall be made in accordance with section-7 of the Act, as amended from time to time.

(d) Final Selection List-

The Selection Committee shall, having regard to the provisions of reservation referred to in rule 6, prepare a final select list of candidates in order of merit as disclosed by the aggregate of marks obtained by them under clause b (ii) and clause (c). If two or more candidates obtain equal marks, the candidate obtaining higher marks under clause b (ii) shall be placed higher in the list. The Selection Committee shall forward the list to the Board which shall forward it to the Head of the Department. The Head of The Department shall forward the require number of names to the concerned appointing authorities. The final selection list with marks of all candidates should be uploaded on the Board's website.

the annual remarks of last 10 years. 6 marks for every outstanding category, 4 marks for very good category and 2 marks for Good category shall be awarded. 6 marks shall be deducted for every adverse remark from the total.

(ii) up to maximum 20 marks shall be awarded for training courses. For every substantive training 10 marks will be awarded and for every non-substantive training 02 marks will be awarded.

NOTE 1- The Training Directorate of the Police shall notify list of substantive training and non substantive training. This notification shall be made in the beginning of each calendar year. The list thus notified shall not be revised during the process of promotion.

NOTE 2- No training which is less than one month's duration shall be notified as substantive training.

(iii) Up to maximum 20 marks shall be awarded for rewards. Each reward will be awarded 5 marks.

(iv) Marks shall be deducted for punishment as given below:

(1) Every major punishment - 10 marks,

(2) Every minor punishment - 6 marks,

(3) Integrity certificate withheld for each year- 10 marks

The zone of consideration of service record shall be of last 10 years from the year the first day of recruitment by promotion to the post of Inspector.

(c) Final Selection List-

(i) The Selection Committee shall prepare a final selection list of candidates in order of merit as disclosed by the aggregate of marks obtained by them under clause (a) Written test and (b) Service record. If two or more candidates obtaining equal marks, the candidate obtaining higher marks under clause (b) (Service Record) shall be placed higher in the list. If even after this, two or more candidates have equal marks in service records, they shall be placed in list according to their age. Older in age shall be placed above other such candidates.

(ii) The selection committee shall submit the list of candidates in order of merit, found fit for promotion, with its recommendation to the Director General of Police. The list shall not exceed the notified vacancies.

(iii) On approval of the list by the Director General of Police, the Inspector General of Police (Establishment) shall issue the final orders for promotion to the post of Inspector.

(4) In a given year of recruitment by promotion to the posts of Inspector, process of promotion by seniority shall always precede the process of promotion by departmental examination, provided there are vacancies for the same. Unsuccessful candidates under sub-rule (2) shall be eligible to compete in the departmental examination under sub-rule (3).

(5) Sub-rule (1) is solely for the calculation of the vacancies for the post of Inspector for clause (a) of rule 5. The Sub Inspectors promoted under sub-rule (2) shall be senior to the Sub Inspectors promoted under sub-rule (3) in the given year of recruitment by promotion to the post of Inspector.

	(6) The final list of promoted candidates, as approved by the Director General of Police UP, shall be displayed on the web sites of the Board and the UP Police.

By Order,

(R. M. SRIVASTAVA)
Principal Secretary